संख्या- 41 /2026/001-351-24-1-2026-2249-2010

प्रेषक,

ओमकार सिंह,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 27 अप्रैल, 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु आर0ई0सी0 से प्राप्त ऋण की धनराशि के भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या–449/ अधि0नि0(वित्त)/निधि-2/आर(डिस्ट)/04-05/97/2004, दिनांक 15 अप्रैल, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु आर0ई0सी0 से प्राप्त ऋण की धनराशि के भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष-6003-109-03-00-30 के भारित मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 81,76,74,000/- (रूपये इक्यासी करोड़ छिहत्तर लाख चौहत्तर हजार मात्र) में से धनराशि रूपये 7,41,35,683/- (रूपये सात करोड़ इक्तालिस लाख पैंतीस हजार छः सौ तिरासी मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,41,35,683 (रुपये सात करोड़ इकतालीस लाख पैंतीस हजार छह सौ तिरासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक